# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

**पीठासीन अधिकारी** : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

**राजस्व वादपत्र संख्या** : **01/2021**

**GCMS NO.** : **2021/3**

| –:: वादी ::– | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. कानाराम पुत्र रेवतराम<br>जाति– मेघवाल, निवासी–<br>भींवगढ़, तहसील–जैतारण,<br>जिला–पाली (राज.) | | 1. भंवरू पुत्र गेपर<br>2. हजारी पुत्र गेपर<br>3. शंकर पुत्र गेपर<br>जाति– नायक, निवासी– भींवगढ़,<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>(राज.)<br>4. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली<br>(राज०) |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू:.05/01/2021**

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 24/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा भींवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वादी की खरीद सुदाव कब्जासुद स्थित आराजी खसरा नम्बर 2265 रकबा 03 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन बेरा आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/2 का 2/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल साथ पेश है। वादी का भाई बाबूलाल की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 17.03.2007 को हो चुकी है। मृतक बाबूलाल कुंवारा ही था। उसका कोई वारिस नही था। वादी की उक्त भूमि का वारिस है व एक मात्र मालिक है एवं मौके पर काबिज है। इसलिए मृतक बाबूलाल का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी उक्त कुएं के पास ही खसरा नम्बर– 2263, 2264, 2266 कुल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 1/2 के 2/3 हिस्से का वादी का वादी का आता है। उक्त आराजी व वाद में वर्णित आराजी बाबत् श्रीमान्जी के न्यायालय में एक राजस्व वा[illegible]20 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 26.10.2011 को [illegible] खसरा नम्बर 2265 अंकित होना सेवन से रहा गया क्योंकि [illegible] नम्बर कुआं है, बकाया भूमि का बंटवाड़ा के प्राथमिक डिक्री जारी की हुई थ[illegible] इसलिए सेवन से टाईप होना रह गया है, खसरा नम्बर 2263, 2264, 2266 की भूमि के राजस्व रेकर्ड से बाबूलाल का नाम हटवाया गया एवं वादी को 1/2 के 2/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इसलिए खसरा नम्बर 2265 के राजस्व रेकर्ड से बाबूलाल का नाम हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। निर्णय की प्रति इस वाद के साथ प्रस्तुत है। वादी अनुसूचित जाति का अनपढ़ गरीब काश्तकार है। वादी द्वारा जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो वादी को ज्ञात हुआ कि वादी के नाम साथ बाबूलाल का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसलिए अब श्रीमानजी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वार उक्त राजस्व रेकर्ड के जमाबन्दी की नकल दिनांक 09.10.2020 को लेने पर वादी को प्रथम ज्ञात हुआ कि अपने खरीद सुदा भूमि में माफिक निर्णय के बाबूलाल का नाम राजस्व रेकर्ड से नहीं हटाया गया है, तब वादी ने पटवारी हल्का जैतारण व तहसील जैतारण ने कहा कि हमारे द्वारा आपका नाम राजस्व रेकर्ड में निर्णय माफिक दर्ज कर दिया इसमें किसी प्रकार की दुरुस्ती है तो आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हो तब वादी द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष यह वाद बाबत् घोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 09.10.2020 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें लेने पर व राजस्व रेकर्ड की नकल प्रतिवादी को माफिक वाद के राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त करनें का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना करनें पर बमुकाम भींमगढ़ व जैतारण में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 को बार-बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन/तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत के साक्ष्य शपथपत्र वादी PW-1 व PW-2 पेश किए, सामिल मिसल है। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा में पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 15/2010 कानाराम बनाम भंवरू वगैरा निर्णय दिनांक 06.07.2011 के तथ्य तथा हस्तगत वाद के तथ्य समान है। पूर्व वाद में खसरा संख्या 2263, 2264, 2266 एवं 2265 की आराजी वादग्रस्त थी लेकिन निर्णय के दौरान क्रियात्मक आदेश में खसरा संख्या 2263, 2264, 2266 ग्राम भींवगढ़ तहसील जैतारण का ही अंकन हुआ है तथा खसरा संख्या 2265 का नहीं हुआ है। पूर्व निर्णित उपर्युक्त वाद में वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी [illegible] 1/2 के 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] अभिलेख से विलोपित किये जानें का आदेश दिया गया था। साक्ष्य वादी शपथपत्र PW-1 में वादी कानाराम द्वारा शपथपत्र पर यह कथन किया है [illegible] वादी के भाई बाबूलाल की दिनांक 17.03.2007 को दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक बाबूलाल कुंवारा होनें तथा अन्य कोई वारिसान नहीं होनें से वादी की मृतक का वारिसान है। PW-2 वादी साक्ष्य शपथ पत्र में साक्षी मुकेश पुत्र ओंकार द्वारा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

के कथनों का शपथ पत्र पर समर्थन किया। अतः हम मृतक खातेदार बाबूलाल पुत्र रेंवतराम का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुये वादी कानाराम पुत्र रेंवतराम को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2265 रकबा 00-03 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा में 1/2 भाग के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

**-:: आदेश ::-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम- भींवगढ़, पटवार हल्का रास द्वितीय, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2265 रकबा 00-03 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा में से मृतक खातेदारा बाबूलाल पुत्र रेंवतराम का नाम विलोपित करते हुये वादी कानाराम पुत्र रेंवतराम को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
## (ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

| -:: वादी ::- | बनाम | -:: प्रतिवादीगण ::- |
|---|---|---|
| 2. कानाराम पुत्र रेवतराम<br>जाति- मेघवाल, निवासी-<br>भींवगढ़, तहसील-जैतारण,<br>जिला-पाली (राज.) | | 5. भंवरू पुत्र गेपर<br>6. हजारी पुत्र गेपर<br>7. शंकर पुत्र गेपर<br>जाति- नायक, निवासी- भींवगढ़, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)<br>8. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली (राज0) |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मु0न0 01/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम- भींवगढ़, पटवार हल्का रास द्वितीय, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2265 रकबा 00-03 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा में से मृतक खातेदारा बाबूलाल पुत्र रेंवतराम का नाम विलोपित करते हुये वादी कानाराम पुत्र रेंवतराम को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 03-00 | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | - | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | - | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 02-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | / | मुत्फरिक | |
| मिजानः- | 06-00 | मिजानः- | -Nil- |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested